न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्याः 143/2015 एल.आर.एक्ट
GCMS No. 2015/00141

1. बनवारी लाल पुत्र नन्दराम जाति जाट निवासी चक 33 पी एस तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
2. मुरलीधर पुत्र नन्दराम जाति जाट निवासी चक 33 पी एस तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
3. दुलीचंद पुत्र नन्दराम जाति जाट निवासी चक 33 पी एस तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

—— अपीलान्ट्स

बनाम

1. साहबराम पुत्र हुक्माराम जाति जाट निवासी चक 33 पी एस तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
2. स्टेट जरिये तहसीलदार रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

—— रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः श्री प्रहलाद जाखड़ — अभिभाषक अपीलांट
श्री सत्यपाल सहू. — अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1

निर्णय

दिनांक 22.07.2025

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 06.11.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– चक 33 पी एस के मुरब्बा नंबर 8 के किला नंबर 3, 8 तादादी 0.506 हैक्टेयर, मु.नं. 27 के कि.न. 21 ता 24 रकबा 1.012 हैक्टेयर, मु.नं. 29 के कि.नं. 1 ता 4 रकबा 1.012 हैक्टेयर, कि. नं. 5/1 रकबा 0.240 हैक्टेयर, कि. नं. 6/1 रकबा 0.240 हैक्टेयर, मु. नं. 30 के कि. नं. 1 ता 13 रकबा 3.289 हैक्टेयर कुल 6.299 हैक्टेयर खातेदारी भूमि हंसराज, बृजलाल, दुलीचंद, मुरलीधर, बनवारी पिसरान नन्दराम कौम जाट साकिन खांटा तहसील रायसिंहनगर के नाम से

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

खातेदारी भूमि बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज है, जिसका अपीलांट्स व उसके भाइयों ने आपसी सहमति से दिनांक 26.05.2011 को खाता विभाजन करवा लिया, जिसकी पालना में इंतकाल संख्या 247 दिनांक 31.05.2011 दर्ज हो गया। उक्त इंतकाल संख्या 247 के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशा.) श्रीगंगानगर के समक्ष अपील पेश की, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.11.2015 द्वारा आंशिक स्वीकार कर लिया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.11.2015 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील पेश की है।

2— विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि वादगत भूमि अपीलांट व उसके भाइयों के नाम दर्ज खातेदारी भूमि थी। उक्त वादगत भूमि का अपीलांट व उसके भाइयों ने आपसी सहमति से तहसीलदार रायसिंहनगर के सम्मुख ख़ाता विभाजन दिनांक 26.05.2011 को करवा लिया। उक्त आदेश दिनांक 26.05.2011 की पालना में इंतकाल संख्या 247 दर्ज किया जाकर दिनांक 31.05.2011. को तस्दीक किया गया। उक्त इंतकाल से रेस्पोडेन्ट सं. 1 साहबराम किसी भी स्थिति में प्रभावित नहीं था क्योंकि उक्त इंतकाल आपसी सहमति से करवाये गये बंटवारे के आधार पर खाता विभाजन होने पर अलग—अलग भाइयों के नाम दर्ज किया गया था, जिसमें रेस्पो. सं. 1 न तो सह काश्तकार थौ और ना ही प्रभावित पक्षकार। इसलिए रेस्पोडेंट सं. 1 को अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश करने की Locus Standi नही थी। रेस्पो. सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया और न ही अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में इसके संबंध में एक शब्द भी लिखा है। अपील पूर्णतया मियाद बाहर पेश की गई थी। मियाद बिन्दु को तय किए बिना ही मैरिट पर अपील का निस्तारण नहीं किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने दस्तबरदारी एवं अन्य लोगों के हिस्से के संबंध में जिक्र किया है, परन्तु उक्त सारी बाते रेकार्ड से बाहर की होने के कारण उक्त आदेश पूर्णतया गलत तथा क्षेत्राधिकार विहीन होने से निरस्तनीय हैं। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत अपील मूल आदेश के विरूद्ध न होकर नामान्तरण के खिलाफ की गई थी, जो गलत है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे व नामान्तरण संख्या 247 यथावत कायम रखा जावे। अभिभाषक

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अपीलांट ने अपनी बहस के संबंध में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांतों का हवाला दिया हैं:–

- आर.बी.जे. (15) 2008 पेज संख्या 296
- आर.बी.जे. (15) 2008 पेज संख्या 526
- आर.आर.टी. 2012(2) पेज संख्या 1138
- आर.आर.टी. 2012(1) पेज संख्या 101

3– विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने दौराने बहस लिखित बहस पेश करते हुए कथन किया कि वादगत कृषि भूमि वाके रोही चक 33 पीएस में पुश्तैनी रेस्पोडेन्ट सं. 1 के दादा हुक्माराम के नाम से सम्वत् 2025 से 2028 में खाता संख्या 38 के मुरब्बा नंबर 27 तादादी 24 बीघा 10 बिस्वा, मुरब्बा नंबर 29 तादादी 7 बीघा, मुरब्बा नंबर 30 तादादी 12 बीघा 16 बिस्वा एवं मुरब्बा नंबर 75/8 में 14 बिस्वा कुल 45 बीघा भूमि है। हुक्माराम के देहावसान के पश्चात् उसने सभी 9 वारिसान के नाम बहिस्सा बराबर–बराबर नामान्तरकरण दर्ज हुआ। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हुआ। सभी बहिनों द्वारा उक्त भूमि में स्थित अपने 6/9 हिस्सा की रिलीज डीड साहबराम के हक में दिनांक 10.05.1972 को तस्दीक करवाई गई। इस दस्तबरदारी का इंतकाल तस्दीक होने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 साहबराम के नाम 7/9 हिस्सा, नेतराम के नाम 1/9 हिस्सा एवं नंदराम के नाम 1/9 हिस्सा भूमि दर्ज हुई। तत्पश्चात् भूप्रबंध विभाग द्वारा की गई पैमाईश में हुक्माराम पुत्र मोतीराम के फौत होने पर नामांतरकरण संख्या 57 में नंदराम के नाम एक हिस्सा नेतराम के नाम एक हिस्सा एवं साहबराम रेस्पो. के नाम सात हिस्सा खातेदार रेवेन्यू रिकार्ड में दर्ज था, जिससे साहबराम के हिस्से में 35 बीघा भूमि आई। उक्त विवादित भूमि चक 33 पीएस के मु.नं. 27 मे 4 बीघा एवं मु.नं. 30 में 10 बीघा कुल तादादी 14 बीघा नंदराम के वारिसान के नाम दर्ज की गई एवं रेस्पो. सं. 1 के नाम 21 बीघा भूमि दर्ज की गई, जो खिलाफ कानून होने, भूप्रबंध विभाग को प्राप्त रेकार्ड के विपरीत भूमि कम या ज्यादा करने के अधिकार नहीं होने के कारण Void abnitio कार दर्ज भूमि के आधार पर पारित कर खाता विभाजन खिलाफ कानून होने से काबिल खारिजी के है। भूप्रबंध विभाग द्वारा गलत दर्ज रेकार्ड के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा एक वाद अंतर्गत धारा 88–183–53 एवं 209 राज. काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के समक्ष वाद संख्या 105/2011 अनुवानी साहबराम बनाम बृजलाल वगैरह प्रस्तुत किया, जो दिनांक 07.01.2025 को बहक वादी

माननीय आयुक्त
बीकानेर

साहबराम डिक्री किया गया एवं नंदराम के वारिसान के नाम दर्ज अधिक भूमि 2.024 हैक्टेयर भूमि का खातेदारी घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने एवं कब्जा साहबराम को दिलाने केक आदेश एवं डिक्री जारी की गई। नेतराम के वारिसान द्वारा भी एवं राजस्व वाद संख्या 104/2011 अनुवानी नेतराम बनाम बृजलाल वग़ैरह पि. नंदराम के विरूद्ध अंतर्गत धारा 88–183–53 एवं 209 आरटीए के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया जो दिनांक 07.01.2025 को डिक्री किया जाकर 1.012 हैक्टेयर भूमि नेतराम के वारिसान को खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड मे दर्ज करने एवं कब्जा नेतराम के वारिसान को दिलाए जाने के आदेश मय डिक्री जारी किये गये। उक्त दोनों आदेशों के विरूद्ध अपील अंतर्गत धारा 223 आरटीए के तहत राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष पेश की गई, जो बाद सुनवाई निर्णय दिनांक 22.04.2025 द्वारा अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आंदेश दिनांक 07.01.2025 को यथावत रखते हुए निर्णय पारित किया जाकर डिक्री जारी की गई। नामान्तरकरण फिस्कल प्रोसिडींग है जिनमें टाइटलं एवं हकों का निर्धारण नहीं होता है, इसलिए सक्षम राजस्व न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई नियमित वाद एवं अपील में हकों का निर्धारण किया जा चुका है। इसी आधार पर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाना है। इसलिए अपील Infructuous हो चुकी है, जो खारिज फरमाई जावे। भूप्रबंध विभाग द्वारा गलत तैयार किये गये राजस्व रेकार्ड के आधार पर किये गये गलत अंकन को आधार बनाकर तथा कथित बंटवारानामा से कोई अधिकार प्राप्त नहीं होने के कारण अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावें।

4– हमने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तोवजों, अधीनस्थ न्यायालय की उपलब्ध पत्रावली व न्यायिक दृष्टांतों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.11.2015 पारित कर इंतकाल सं. 247 दिनांक 31.05.2011 को निरस्त कर दिया तथा प्रकरण तहसीलदार रायसिंहनगर को उभय पक्षकारों को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, अपीलाधीन भूमि के कब्जे एवं पंजीकृत दस्तबरदारी को दृष्टिगत रखते हुए पुनः विधिसम्मत आदेश पारित करने के निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित कर दिया। अपीलांट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो कि उक्त पंजीकृत दस्तबरदारी को किसी सक्षम न्यायालय से निरस्त किया

गया हो। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.11.2015 न्यायोचित प्रतीत होता है। उक्त परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.11.2015 यथावत रखते हुए अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जाती है।

5— तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 22.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर

श्रीगान